न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या: 173/2022 (जी सी एम एस 2022/345)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर		1. [illegible] पुत्र [illegible] जाति मेघवंशी निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 2. [illegible] देवी पत्नी [illegible] जाति मेघवंशी निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 3. [illegible] पुत्र [illegible] जाति मेघवंशी निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 4. [illegible] पुत्र [illegible] जाति मेघवंशी निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 5. [illegible] पुत्र [illegible] जाति [illegible] निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 6. [illegible] पुत्र [illegible] जाति मेघवंशी निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 7. शोभा सिंह पुत्र [illegible] सिंह जाति [illegible] निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 8. चैनीबाई पत्नी चुना राम जाति मेघवंशी निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर।

तारीख रजू:- 26.08.2022

उपस्थित: 1.पैरोकार राज
2. श्री कृष्ण कुमार परूथी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4
3- श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 8

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955</u>

--निर्णय-- दिनांक : 21.10.2024

1- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 6 वीं धनूर, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 115/113 के मुरब्बा नम्बर 43, 51, 54, 90/49 की कुल 7.550 हैक्टेयर कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 1 की 0.253 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त भूमि को बिना रूपान्तरण करवाये ढाणी, सर्विस स्टेशन, गैंस वैल्डिंग व स्पेयर पार्टस का व्यवसाय, किराना की दुकान कर व्यवसाय किया जा रहा है। यह निर्माण आवासीय एंव वाणिज्यिक है। प्रतिवादीगण द्वारा कृषि भूमि का बिना रूपान्तरण करवाये आवासीय एंव वाणिज्यिक निर्माण कर अकृषि योग्य बना दी गई है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 177 का उलघंन है। अतः वादपत्र पेश कर अर्ज है कि राजस्व ग्राम 6 वीं धनूर, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 115/113 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 1 की 0.253 हैक्टेयर कृषि भूमि को बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिए जावे।

2- वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार परूथी उपस्थित आए। प्रार्थी चैनी बाई की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को बतौर प्रतिवादी संख्या 8 के रूप में संयोजित किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा के अनुसार प्रतिवादी के द्वारा उक्त रकबा में तूडी, लकडी, अनाज बीज रखने के लिए कोठे बनाए हुए है। प्रतिवादी के द्वारा अकृषि कार्य नहीं किया गया है। प्रार्थी को रूपान्तरण का ज्ञान नहीं था। उक्त भूमि का बहक सरकार लिये जाने से प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रार्थी एक छोटा कृषक हे और ज्ञान नहीं होने के कारण व फसल की रक्षा हेतु ढाणी निर्मित की थी। उक्त दावा को खारिज किये जाने की कृपा करे। प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से जवाबदावा पेश किया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

जवाबदावा के अनुसार प्रतिवादी मुखराम द्वारा मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 1 की कृषि भूमि को खुर्द-बुर्द करने के आशय पर अवैध निर्माण कर रखा है तथा कृषि भूमि को अन्यत्र बेचान कर रखी है, जिसमें व्यवसाय दुकान निर्मित की जा रही है। मुखराम द्वारा बिना किस्म परिवर्तन करवाये, करीबन 10-12 वर्षों से भूमि में दुकाने अवैध रूप संचालित कर रखी है, जिसमें गैस वैल्डिंग, सर्विस स्टेशन, किरयाना दुकान, स्पेयर पार्टस आदि संचालित कर रखी है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना व नियमों की पालना न कर, राजस्व विभाग को धोखा दिया जा रहा है। दुकाने संचालित कर, इकरारनामा के आधार पर उनका कब्जा स्थानातंरण किया जा रहा है और अतिक्रमी भूमि का सिंचाई पानी की भी चोरी की जा रही है। अतः जवाबदावा पेश कर अर्ज है कि चक 6 वीं धनूर के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 1 की कृषि भूमि को बहक सरकार लिए जाने के आदेश दिए जावे। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 के द्वारा जवाबदावा पेश नही करने पर जवाब बन्द किया गया।

3- हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-

(i)आया कि क्या चक 6 वीं की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 115/113 के मुरब्बा नम्बर 43, 51, 54, 90/49 की कुल 7.550 हैक्टेयर भूमि में से मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 1 की 0.253 हैक्टेयर भूमि बिना संपरिवर्तन करवाए अकृषि कार्य के उपयोग में लेने के कारण रकबा राज किया जाना उचित है?

-जिम्मे वादी-

(ii)आया कि क्या प्रतिवादी ने खेत की रक्षा हेतु ढाणी बना रखी होने के कारण भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग नहीं किया है?

-जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3-

(iii)अनुतोष।

4- हस्तगत प्रकरण में साक्ष्य की स्टेट की आवश्यकता नहीं होने पर साक्ष्य स्टेट बन्द की गई। साक्ष्यप्रतिवादी में अपने जवाबदावा के समर्थन में स्वंय प्रतिवादी संख्या 3 मुखराम के द्वारा शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। जो सामिल मिसल है। ब्यान सामिल मिसल किए गए।

5- हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार है:-

तनकी संख्या (i) : आया कि क्या चक 6 वीं की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 115/113 के मुरब्बा नम्बर 43, 51, 54, 90/49 की कुल 7.550 हैक्टेयर भूमि में से मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 1 की 0.253 हैक्टेयर भूमि बिना संपरिवर्तन करवाए अकृषि कार्य के उपयोग में लेने के कारण रकबा राज किया जाना उचित है?

उक्त विवाद्यक को सावित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। वादी के द्वारा चक 6 वीं की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 115/113 के मुरब्बा नम्बर 43, 51, 54, 90/49 की कुल 7.550 हैक्टेयर भूमि में से मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 1 की 0.253 हैक्टेयर भूमि बिना संपरिवर्तन करवाए अकृषि कार्य के उपयोग में लेने के कारण बहक सरकार लिए जाने बाबत निवेदन किया गया है। राजस्व ग्राम 6 वीं धनूर, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 115/113 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 1 की 0.253 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। रिपोर्ट पटवारी हल्का धनूर के मुताबिक चक 6 वीं धनूर के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 1 की कुल 0.253 हेक्टैयर नहरी कृषि भूमि पर सहखातेदार मुखराम पुत्र पतराम जाति मेघवंशी निवासी धनूर के द्वारा ढाणी, सर्विस स्टेशन, किरयाना दुकान, गैस वैल्डिंग दुकान, स्पेयर पार्ट दुकान बना रखी है। जिसका अकृषि कार्य हेतु उपयोग हो रहा है। लिहाजा प्रतिवादीगण के द्वारा राजस्व ग्राम 6 वीं धनूर, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 115/113 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 1 की 0.253 हैक्टेयर कृषि भूमि का बिना

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

रूपान्तरण करवाए आवासीय व वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा है। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 177 का उल्लंघन है। अतः वादी इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। यह तनकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (ii) आया कि क्या प्रतिवादी ने खेत की रक्षा हेतु ढाणी बना रखी होने के कारण भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग नहीं किया है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 3 की थी। प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा अपने जवाबदावा में कथन किए है कि प्रतिवादी के द्वारा उक्त रकबा में तूड़ी, लकड़ी, अनाज बीज रखने के लिए कोठे बनाए हुए है। प्रतिवादी के द्वारा अकृषि कार्य नहीं किया गया है। प्रार्थी को रूपान्तरण का ज्ञान नहीं था। उक्त भूमि का बहक सरकार लिये जाने से प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रार्थी एक छोटा कृषक है और ज्ञान नहीं होने के कारण व फसल की रक्षा हेतु ढाणी निर्मित की थी। लिहाजा रिपोर्ट पटवारी हल्का धनूर के मुताबिक चक 6 वीं धनूर के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 1 की कुल 0.253 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि पर सहखातेदार मुखराम पुत्र पतराम जाति मेघवंशी निवासी धनूर के द्वारा ढाणी, सर्विस स्टेशन, किरयाना दुकान, गैस वैल्डिंग दुकान, स्पेयर पार्ट दुकान बना रखी है। जिसका अकृषि कार्य हेतु उपयोग हो रहा है। अतः प्रतिवादी इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

(iii) अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण व तनकी संख्या 2 विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादी निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादी को अनुतोष प्रदान करना विधिसंगत समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

-:आदेश:-

6- अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 6 वीं धनूर, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 115/113 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 1 की 0.253 हैक्टेयर कृषि भूमि को बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि को बहक सरकार लिया जाकर कब्जा प्राप्त किया जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

राजस्थान सरकार बनाम ओमप्रकाश आदि
धारा अन्तर्गत 177 आर.टी.ए.
मुकदमा नम्बर 173/2022
निर्णय दिनांक :- 21.10.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल करार्ड समक्ष उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर हाजरी **पैराकार राज व प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री मनीष जांगिड, व श्री कृष्ण कुमार पक्षी** उपस्थित **होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि यादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 6 धनूर, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता के खाता संख्या 115/113 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 1 की 0.253 हैक्टेयर कृषि भूमि को बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि को बहक सरकार लिया जाकर कब्जा प्राप्त किया जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक .10.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/2024/575 दिनांकः 30.10.2024

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

अधिकारी (राजस्व) करणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते